राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226002
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 1884 /241/NULM/Teen/2001/Svanidhi दिनांक 23/09/2020

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0।

विषयः–पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत शासन द्वारा दिनांक 10.09.2020 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत दिनांक 10.09.2020 को शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश हेतु आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कोविड–19 एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा उक्त वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अवगत कराया गया कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत आवंटित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष पथ विक्रेताओं के पंजीकरण एवं पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में सुधार नहीं आया है। परिणामस्वरुप निर्धारित लक्ष्यों में अन्तर (गैप) प्रदर्शित हो रहा है, यह स्थिति अच्छी नहीं है। उक्त लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिससे माह सितम्बर, 2020 के अन्त तक उक्त योजना के अन्तर्गत कम से कम 03 लाख लाभार्थियों के ऋण आवेदन स्वीकृत कराए जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवंटित लक्ष्यों के पूर्ति के सापेक्ष पंजीयन कराने एवं पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

23/09/2020

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय
23/9/2020
o/c (उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त सीपीओ/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/डूडा, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0।
5. सहायक वेब मास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

23/9/2020
o/c (उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

email 16/9/2020

संख्या– 76 / पीएसएनवी / 2020
VC 10.09.2020 समय 11.30 बजे

दिनांक 10.09.2020 को 13.00 बजे कोविड–19 एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश के साथ हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के मुख्य बिन्दु :–

(1) पथ विक्रेता हेतु PM SVANidhi (प्रधानमंत्री स्वनिधि) योजना का क्रियान्वयन–

इस योजना के अन्तर्गत तय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाये। नगरीय निकायों में पथ विक्रेताओं के पंजीकरण एवं दिये गये लक्ष्य में लक्षित सुधार नहीं हुआ है, जिस कारण निर्धारित लक्ष्य में गैप प्रदर्शित हो रहा है, तत्काल दिये गये परिलक्षित गैप को आगामी 3–4 दिनों में पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही समस्त नगरीय निकाय / निदेशक सूडा / नगर विकास–9)

(2) ARHC योजना में लक्षित समूहों को किफायती किराये पर आवास उपलब्ध कराये जाने के संबंध में–

नगर निगम मेरठ द्वारा अगली वीडियो कान्फ्रेसिंग में उनके द्वारा बनाये गये मॉडल का प्रेजेन्टेशन किया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त नगर आयुक्त / नगर विकास–7)

(3) आई0जी0आर0एस / सी0एम0 हेल्प लाईन / डिफाल्ट संदर्भो के निस्तारण

आई0जी0आर0एस / सी0एम0 हेल्प लाईन / डिफाल्टर के संदर्भ में जो संदर्भ अनिस्तारित हैं, इसे तत्परता के साथ समयबद्व रूप से निस्तारित करायें।

(कार्यवाही समस्त नगरीय निकाय / नगर विकास–3)

(4) इज आफ डूइंग बिजनेस

जनहित गारण्टी योजना में जनता को ऑन लाइन सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में नगरीय निकायें पूर्व से चल रही पत्रावली निकाल कर उस पर तत्काल कार्यवाही कराना आरम्भ कर दें। अगली वीडियो कान्फ्रेसिंग में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। म्युटेशन शुल्क एक समान निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार किया जायेगा। नगरीय निकायों में वाटर, सीवर कनेक्शन

एवं लाइसेन्स निर्गत किये जाने की प्रक्रिया को NIC द्वारा इस हेतु विकसित पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है। अग्रेतर रिफार्मस के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर Extraction (निकाले जाने) के विषयगत नगरीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं फूड लाइसेन्स हेतु दिये जाने वाले NOC के संबंध में NIC द्वारा ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है और आने वाले निकट भविष्य (आगामी माह) में उक्त सेवाओं को भी ऑनलाइन सुनिश्चित किया जायेगा। एक महत्वपूर्ण रिफार्म विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने के विषयगत शामिल किया गया है जिसमें समस्त नगरीय निकायों को अपने निकाय के अन्तर्गत विज्ञापन प्रर्दशन हेतु चिन्हित माध्यम एवं स्थल की ऑनलाइन जानकारी के साथ–साथ जहॉ कहीं भी निकायों द्वारा अपने स्तर से अल्पकालिक रूप से अनुमति दे दी जाती है, उन प्रकरण में समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने हेतु भी NIC द्वारा एक साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिस पर कार्य करने के लिए डाटाबेस हेतु नगरीय निकायों को अन्य बिन्दुओं के साथ निम्न 03 बिन्दुओं पर कम से कम सूचना की तैयारी तत्काल कर लेनी चाहिए:–

(1) नगरीय निकाय द्वारा विज्ञापन के विषयगत अपनायी गयी नियमावली की डिजिटल कॉपी।

(2) निकायों में नीलामी के माध्यम से संस्था/संस्थाओं को विज्ञापन हेतु अधिकृत किया गया है, तो ऐसी संस्था की ऑनलाईन प्रदर्शित होने वाली डिटेल्स साथ ही समस्त ऐसे स्थल एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम जिसके विषयगत नगरीय निकाय द्वारा विज्ञापन एजेंसी का कार्य दिया गया है।

(3) विज्ञापन के विषय में शुल्क/फीस जो नगरीय निकाय द्वारा अधिरोपित की जाती है।

उपर्युक्त एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है और सततरूप से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये एवं इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता/उदासीनता न बरती जाये।

(कार्यवाही समस्त नगरीय निकाय/ नगर विकास–7/9)

(5) **स्मार्ट सिटी**

मिशन के अन्तर्गत शीघ्र ही मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर से समीक्षा बैठक होने की सम्भावना है। अतः स्मार्ट सिटी के मुख्य बिन्दुओं पर पुनः रिब्यू कर लिया जाये।

(कार्यवाही समस्त नगर निगम/ नगर विकास–7/9)

(6) एस0पी0वी

इलैक्ट्रिक बसों के संचालन के संबंध में शासनादेश निर्गत हो गया है। उक्त के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही समस्त नगर निगम/ नगर विकास–9)

(7) प्रर्वतन दल

प्रर्वतन दल का एक टारगेट फिक्स कर कार्य किया जाये। प्रवर्तन दल के साथ समन्वय हेतु निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण प्रवर्तन दल के अभियान में संयुक्त रूप से शामिल रहे। इस विषयगत पूर्व में निर्गत शासनादेश के अनुपालन में प्रवर्तन दल के कार्य सम्बन्धी विषयों के संबंध में लक्ष्य बनाकर तद्नुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नगर आयुक्तगण स्वयं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। निकायों में प्रर्वतन दल के परिणाम स्वरूप अतिक्रमण मुक्त भूमि की सुरक्षा, प्रतिबंधित श्रेणी की जब्त की गयी सामाग्री (प्लास्टिक/पॉलीथीन) की समुचित निस्तारण की व्यवस्था जैसे बिन्दुओं पर शिथिलता न बरती जाये। इसकी समीक्षा किये जाने पर शिथिलता के विरूद्व उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही समस्त नगर निगम/ नगर विकास–7)

(7) मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा निर्गत विभिन्न निर्देशों का अनुपालन तत्परता से सुनिश्चित करते हुए समस्त नगरीय निकायों में यह देख लें कि चिन्हित ड्रेनों के फाक्टोरेमेडिएशन/वायोरेमेडिएशन के कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए क्योंकि यह आश्वस्त किया गया था कि उक्त कार्य मानसून के तत्काल बाद आरम्भ कर दिया जायेगा और उक्त संबंध में समय सीमा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। अतः नालों के फाक्टोरेमेडिएशन/वायोरेमेडिएशन समयबद्व रूप से भलीभॉति कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में संबंधित निकाय के पदाधिकारी के विरूद्व पर्यावरणीय पूर्ति एवं अन्य प्रतिपूर्ति आदेश के पारित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(कार्यवाही समस्त नगरीय निकाय/ नगर विकास–5)

(7) स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छता सर्वेक्षण विषयगत MIS प्रगति समयबद्व रूप से सुनिश्चित की जाये और विभिन्न अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन भी भलीभॉति सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही समस्त नगरीय निकाय/ नगर विकास–5)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2- निजी सचिव, सचिव, (ए/बी) नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3- समस्त सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0शासन।

4- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन/राज्य मिशन निदेशक,अमृत/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/निदेशक, स्थानीय निकाय/सूडा/परिवहन निदेशालय/स्मार्ट सिटी।

5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरीय निकाय, उ0प्र0।

6- श्री सुनील यादव, उपनिदेशक, स्थानीय निकाय।

7- गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव
नगर विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।